न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-3347/2025

ललन सिंह बनाम् बिहार सरकार

[रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 04 / 2018]

आदेश

13.03.2026 आवेदक / अभियुक्त **ललन सिंह पे. स्व0 सत्यनारायण सिंह** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3347 / 2025, रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 04 / 2018, अंतर्गत धारा 420 भा0द0वि0 एवं 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहन कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि गुप्त सूचना के आधार पर सूचक प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी रघुनाथपुर पुलिस बल रघुनाथपुर के सहयोग से ललन सिंह के ईंट की चिमनी परिसर में छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देखते ही वहां उपस्थित तथा काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए तथा एक व्यक्ति मनु कुमार चौहान पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। जांच के क्रम में चिमनी परिसर में खड़ी एक बारह चक्का ट्रक पर उक्त व्यक्तियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अनुदानित खाद्यानों को दूसरे बोरे में पलटी कर हाथ सिलाई कर ट्रक पर लादा जा चुका था तथा लगभग आधा खाद्यान प्लास्टिक के तिरपाल पर बिखरा पड़ा था। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वजन से कुल वजन 110 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं तथा जूट के बोरे में कुल 198 बोरे में प्रति बोरा 50 किलोग्राम के वजन से कुल 99 क्विंटल गेहूं इस प्रकार कुल 41 बोरे में कुल 209 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं पाया गया। जांच के क्रम में चिमनी परिसर में भारतीय खाद्य निगम के सिलाई के धागे तथा उधड़न बिखरे पड़े थे। साथ ही बोरा सीने के लिए बाजारू सुआ और जुट की सूतरी भी पाया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि यह मामला रघुनाथपुर ब्लॉक के सप्लाई ऑफिसर के द्वारा पंजीकृत कराया गया है और आवेदक / अभियुक्त की ओर से एक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2915 / 2025 दाखिल किया गया था जिसे उपस्थिति के अभाव में खारिज कर दिया गया। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से यह कहते हुए फंसाया गया है कि ईंट भट्टा आवेदक का है जबकि ईंट भट्टा और परिसर आवेदक का नहीं है और घटना की तिथि पर न तो ईंट भट्टा चालू था और न ही आवेदक वहां मौजूद था। आवेदक / अभियुक्त मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-3347/2025

ललन सिंह बनाम् बिहार सरकार

[रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 04/2018]

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 04/2018, अंतर्गत धारा 420 भा0द0वि0 एवं 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। इस मामले के सह अभियुक्त मनु कुमार चौहान उर्फ मन्नु कुमार चौहान को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 18019/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है एवं अभियुक्त रविन्द्र कुमार सिंह को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 36249/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक का मामला भी जमानत प्राप्त अभियुक्तगण के समान है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **ललन सिंह** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(राजेश कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,

सिवान।

दिनांक 13.03.2026